

:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी (म0प्र0) ::

क्रमांक :- 209/एक/11-1/08-2026

सिवनी, दिनांक 22/04/2026

// कार्य विभाजन विविध आदेश //

मैं सतीश चंद्र राय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी, सिविल कोर्ट अधिनियम 1955 की धारा-15 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त कार्य विभाजन आदेश को अधिष्ठित करते हुये सिविल एवं सत्र खण्ड जिला सिवनी में कार्यरत समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के मध्य सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण एवं वरिष्ठ तथा लनिष्ठ खण्ड न्यायाधीशों के मध्य सिविल प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण के संबंध में कार्य विभाजन संबंधी निम्नानुसार आदेश तत्काल प्रभाव से प्रसारित करता हूँ :-

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	क्रं.	प्रकरणों का प्रकार जिनके निराकरण का क्षेत्राधिकार होगा
1	2	3	4	5
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी एवं सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सिवनी	सम्पूर्ण सत्र खण्ड, सिवनी (कुटुम्ब न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकारिता, केन्टोनमेंट क्षेत्र, को यदि कोई हो को सम्मिलित करते हुए, नगर पालिका सिवनी की सीमाओं को छोड़कर)	1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-	समस्त सत्र प्रकरण। समस्त दाण्डिक अपील। समस्त दाण्डिक पुनरीक्षण। धारा 222(2) BNSS के प्रावधान अनुसार प्रस्तुत परिवाद। धारा 482, 483, 483(2) BNSS, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं एन0डी0पी0एन0 तथा पॉक्सो एक्ट के मामलों को छोड़कर) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत संबंधी आवेदन (तहसील लखनादौन एवं घंसौर से उदभूत जमानत आवेदन पत्रों को छोड़कर), सम्पूर्ण सत्र खंड के अंतर्गत धारा 448, 449 BNSS के अंतर्गत दांडिक प्रकरणों एवं आवेदनों के अंतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र। अन्य विशेष अधिनियम, स्थानीय अधिनियम जिनके विषय में कार्य विभाजन में स्पष्ट निर्देश नहीं है, ऐसे अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले परिवाद, अभियोग पत्र, विविध प्रकरण, अपील, जो कि सत्र न्यायालय द्वारा मूल विचारण न्यायालय या अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता में विचारण किये जाने या सुने जाने प्रावधानित हो। सभी दांडिक विशेष प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य हो और जिनका सुनवाई क्षेत्राधिकार इस कार्य

			विभाजन पत्रक अंतर्गत अन्य किसी न्यायाधीश को आवंटित न किया गया हो तथा ऐसे सभी आपराधिक प्रकरण जो म०प्र० राज्य शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० द्वारा सुना जाना विनिर्दिष्ट किया गया हो।
		9-	औषधी और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 से संबंधित प्रकरण।
		10-	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
		11-	धारा 335(2) BNSS के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
		12-	ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण किये गये दाण्डिक मामलों से संबंधित अपील।
		13-	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधान, 2005 के अंतर्गत पारित आदेश से उत्पन्न अपील।
		14-	न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण अधिनियम) 2015 के अंतर्गत पारित आदेश की अपील।
		15-	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णायक अधिकारी सिवनी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधि० के अंतर्गत पारित न्याय निर्णय के विरुद्ध जिला ट्रिब्यूनल के अधीन प्रस्तुत होने वाले अपीलों एवं माननीय उच्च न्यायालय के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि० 2006 के अधीन न्याय निर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत, किंतु अनिर्णित वा-स होने वाली याचिकाएँ।
	जिला	16-	मुख्यालय सिवनी के अंतर्गत वन अपराध, आबकारी एक्ट एवं अन्य अधिनियम के प्रकरणों की अपील के विरुद्ध पुनरीक्षण कार्यवाही।
		17-	मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण (अधिनियम 2021)।
		18-	म०प्र० शासन द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष आदेश के अंतर्गत विचारण हेतु सौंपे गये सत्र अथवा विशेष प्रकरण।

	<u>सिविल खण्ड</u>	01- प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी मूल्य के प्रकरण। 02- भारतीय उत्तराधिकार अधि० 1925 की धारा 192 (भाग-7) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र 03- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोवेट एवं प्रशासनिक पत्र संबंधी प्रकरण। 04- म०प्र० लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपील एवं धारा 26 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 05- भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 72, 73, 74 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिका एवं आवेदन। 06- सिविल जिला सिवनी में स्थापित न्यायालयों के विषय में धारा 24 सी०पी०सी० के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन। 07- प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के प्रकरणों में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित आदेश अथवा निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अपील। 08- म०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 139(5), 172(3)। 09- मोटरयान अधि० 1988 की धारा 164, 166 के अंतर्गत प्रस्तुत, तहसील सिवनी, बरघाट, केवलारी, कुरई से उत्पन्न समस्त मृत्यु दावा प्रकरण। 10- भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी, सिवनी के द्वारा म०प्र० स्थान नियंत्रण अधि० 1961 की धारा-31 के अंतर्गत पारित आदेशों से उदभूत अपील। 11- लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकाएँ। 12- प्रांतीय लघुवाद अधि० 1887 के अंतर्गत 500/-रु० से अधिक किन्तु 1000/- रु० तक के मूल्यांकन तक के लघुवाद प्रकरण। 13- ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सिवनी द्वारा सिविल प्रकरणों में घोषित निर्णयों से उत्पन्न अपीले।
--	-------------------	--

			14— मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकाएँ। 15— (अ) म०प्र० म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अधि० 1956 के अंतर्गत चुनाव याचिकायें। (ब) म०प्र० नगरपालिका अधि० 1961 के अंतर्गत चुनाव याचिकायें। 16— कॉमर्शियल कोर्ट, कॉमर्शियल डिवीजन एंड कॉमर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ हाईकोर्ट एक्ट 2015 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकाएँ। 17— जिलान्तर्गत अवयस्क की संपत्ति विक्रय करने/अवयस्क के हितों के संरक्षक हेतु संरक्षकता नियुक्त किये जाने हेतु— (अ). हिन्दु अप्राप्तवयता एवं संरक्षण अधि० 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। (ब). संरक्षक और प्रतिपाल्य अधि. 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 18— अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण। 19— अन्य सभी ऐसे वाद, याचिकाएँ, आवेदन पत्र, अपील पुनरीक्षण, रिफ्रेन्स, विविध आवेदन जिनके विषय में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्य विभाजन पत्रक में स्पष्ट रूप से प्रावधानित न हो, किंतु राज्य अथवा केन्द्रों के अधि० में, ऐसे प्रकरणों की सुनवाई की अधिकारिता जिले के नूल न्यायालय, सिविल कोर्ट को प्रावधानित की गई हो। 20— अन्य ऐसे प्रकरण जो भारत देश के किसी भी न्यायालयों से माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार सिविल जिला सिवनी में सुनवाई किये जाने हेतु अंतरित हो।
2.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश सिवनी/विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम, 1989) सिवनी एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सिवनी के प्रथम अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सिवनी	सत्र खण्ड, सिवनी	1— सत्र खण्ड सिवनी के अंतर्गत सभी आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्या०निवा०) अधि० 1989 (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम, 1989) के अंतर्गत विशेष सत्र प्रकरण (पॉक्सो के अंतर्गत आने वाले अपराधों को छोड़कर)। 2— अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम, 1989 के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक मामलों से संबंधित समस्त आरक्षी केन्द्रों के रिमांड/जमानत संबंधी आवेदन पत्र (पॉक्सो के अंतर्गत आने वाले अपराधों को छोड़कर)।

		<u>सिविल खण्ड</u>	3- म.प्र. शासन अथवा मान. उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष आदेश के अंतर्गत विचारण हेतु सौंपे गये सत्र अथवा विशेष प्रकरण। 4- समय-समय पर सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, जमानत आवेदन एवं अन्य प्रकरण। 5- समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित वाद, मुआवजा प्रकरण, नियमित सिविल अपील, विविध अपील एवं अन्य प्रकरण।
3.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, एवं मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधान 2012 (POCSO) तथा सदस्य प्रथम अति० दुर्घटना दावा अधिकरण, सिवनी	सत्र खण्ड POCSO हेतु आरक्षी केन्द्र (आरक्षी केन्द्र लखनादौन, छपारा, धूमा, घंसौर, धनौरा, किंदरई, आदेगांव से उत्पन्न मामलों को छोड़कर)	1- सत्र खण्ड, सिवनी के अंतर्गत स्थित सभी आरक्षी केन्द्र से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उद्भूत आपराधिक/विशेष प्रकरण जो सीधे विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होंगे। 2- मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन मामलों के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 3- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत रिमाण्ड एवं धारा 482, 483, 483(2) BNSS के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन। 4- म०प्र० विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम के अंतर्गत उपापित होकर प्राप्त विशेष सत्र प्रकरण। 5- आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जिला सिवनी से उत्पन्न होने वाले जमानत आवेदन पत्र। 6- सत्र खण्ड सिवनी के अंतर्गत सभी आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण। 7- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक मामलों से संबंधित सत्र खण्ड सिवनी स्थित समस्त आरक्षी केन्द्रों की रिमाण्ड कार्यवाहियाँ तथा जमानत आवेदन पत्र। 8- सत्र खण्ड सिवनी के अंतर्गत सभी आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्या०निवा०) अधि० 1989 अंतर्गत मामले जिनमे फरियादी 18 वर्ष से कम हों।

		<u>सिविल खण्ड</u>	9— म0प्र0 शासन द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष आदेश के अंतर्गत विचारण हेतु सौंपे गये सत्र अथवा विशेष प्रकरण। 10— समय—समय पर सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, जमानत आवेदन एवं अन्य प्रकरण। 01— न्यायालय, सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित आर्बिट्रेशन एवं कन्सिलिएशन एक्ट की धारा-9 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 02— न्यायालय, सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित आर्बिट्रेशन एवं कन्सिलिएशन एक्ट की धारा-34 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन एवं उनसे संबंधित निष्पादन प्रकरण। 03— भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 की धारा-72 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 04— भूमि अधिग्रहण अधि0 1984 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 05— राज्य शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-12-2-2014(VII) शाखा 2ए भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधि0 2013(2013 का 30) की धारा-51 की उपधारा-1 ढ 2 के साथ पठित धारा-64 के अधीन, उन्हें किये गये निर्देशों (References) या धारा-64 की उपधारा-1 के द्वितीय परंतुक के अधीन आवेदक के द्वारा किये गये आवेदन को ग्रहण करने तथा विनिश्चय करने से संबंधित प्रकरण। 06— न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित चैरेटेबल तथा रिलीजियस ट्रस्ट अधि0 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 07— न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित म0प्र0 म्यूनिसपल कार्पो0 अधि0 की धारा-307 के अंतर्गत आवेदन पत्र। 08— न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत अपीलें, पुनरीक्षण तथा आवेदन पत्र।
--	--	-------------------	---

			09— न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			10— न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित लोकल फंडस ऑडिट अधि0 1938 के अंतर्गत आवेदन।
			11— न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित हिन्दु विवाह अधि0 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			12— न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			13— न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित हिन्दू वयस्कता एवं संरक्षकता अधि0 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			14— न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित मुस्लिम विवाह विच्छेद अधि0 1939 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			15— विशेष विवाह अधि0 1954, विदेशी विवाह अधि0 1969 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			16— वैवाहिक प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध वाद।
			17— अन्य व्यवहार प्रकृति के समस्त वैवाहिक प्रकरण।
			18— जिला मुख्यालय/तहसील न्यायालय केवलारी अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			19— प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी एवं द्वितीय व षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी की न्यायालय द्वारा सिविल वाद में घोषित निर्णय की नियमित अपील एवं पारित आदेशों की विविध अपील।
			20— समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित विविध आवेदन, वाद, मुआवजा प्रकरण एवं अन्य प्रकरण।
			21— प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्य द्वितीय अतिरिक्त मोटर दावा अधिकरण, सिवनी द्वारा निराकृत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों तथा व्यवहार प्रकरणों से उद्भूत होने वाले

				निष्पादन प्रकरण, विविध प्रकरण, विविध कार्यवाहियों तथा माननीय अपीलीय न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने वाले प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही कर, विधिवत् सुनवाई एवं निराकरण किया जाना।
4.	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी तथा सदस्य द्वितीय अति० दुर्घटना दावा अधिकरण, सिवनी	सत्र खण्ड तहसील सिवनी व कुरई	1- 2- 1- 2- 3- 4- 5- 6-	म०प्र० शासन द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष आदेश के अंतर्गत विचारण हेतु सौंपे गये सत्र अथवा विशेष प्रकरण। समय-समय पर सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, जमानत आवेदन एवं अन्य प्रकरण। तहसील सिवनी व कुरई के रू० 1,0000001/- (रू० एक करोड़ एक से अधिक मूल्य के नियमित व्यवहार वाद एवं मध्यस्थता एवं सुलह अधि० 199C से संबंधित आवेदन (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं की ऋण वसूली के ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार ऋण वसूली ट्रिब्यूनल को प्राप्त है।) तहसील सिवनी व कुरई से उत्पन्न मोटरयान अधि० 1988 की धारा 163(अ)/ (164 संशोधित), 166 के अंतर्गत प्रस्तुत उपहति से संबंधित समस्त मुआवजा प्रकरण। न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रोवेन्सियल इन्साल्वेन्सी अधि० 1920 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं अपील। प्रोवेन्सियल स्माल कॉज कोर्टस अधि० 1987 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रू० 01 से अधिक किंतु रू० 1000 मूल्य तक के वाद। द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी तथा तृतीय एवं चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी की न्यायालय द्वारा सिविल वाद में घेषित निर्णय की नियमित अपील एवं पारित आदेशों की विविध अपील। समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित विविध आवेदन, वाद, मुआवजा प्रकरण एवं अन्य प्रकरण।

5.	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना अनुसार बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या सहित बलात्कार अथवा हत्या बलात्कार से जुड़े हुये अपराधों के त्वरित विचारण के लिये (OAW) एवं विशेष न्यायाधीश (NDPS) सिवनी, एवं पीठासीन अधिकारी, विद्युत अधिनियम, 2003 तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 (NIA) तथा सदस्य तृतीय अति० दुर्घटना दावा अधिकरण, सिवनी	सत्र खण्ड, सिवनी के अंतर्गत स्थित आरक्षी केन्द्र (आरक्षी केन्द्र लखनादौन, छपारा, धूमा, घंसौर, धनौरा, किंदरई, आदेगांव से उत्पन्न मामलों को छोड़कर) एवं एन.डी.पी.एस. हेतु समस्त सिवनी जिला सिविल खण्ड	1- स्वापक औषधियां एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विशेष प्रकरण एवं समस्त आरक्षी केन्द्रों के रिमांड/जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सीधे विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होंगे (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अधिकारिता में विचारणीय मामलों को छोड़कर)। 2- अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन को आवंटित क्षेत्र को छोड़कर उत्पन्न होने वाले म०प्र० विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं धारा 482, 483, 483(2) BNSS के अंतर्गत जमानत आवेदन (लखनादौन न्यायालय का क्षेत्राधिकार छोड़कर)। 3- समय-समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण तथा बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या सहित बलात्कार अथवा हत्या बलात्कार से जुड़े हुये अपराधों के अंतर्गत विशेष सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आवेदन तथा जमानत संबंधी आवेदन पत्र आदि (लखनादौन न्यायालय का क्षेत्राधिकार छोड़कर)। 4- जिलान्तर्गत राष्ट्रीय जॉच एजेंसी (NIA) अधिनियम 2008 अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण/रिमांड/जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सीधे विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होंगे। 5- अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी तथा पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी एवं व्यवहार न्यायाधीश केवलारी की न्यायालय द्वारा सिविल वाद में घोषित निर्णय एवं पारित आदेशों की नियमित एवं विविध अपील। 6- म०प्र० शासन द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष आदेश के अंतर्गत विचारण हेतु सौंपे गये सत्र अथवा विशेष प्रकरण। 7- समय-समय पर सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, जमानत आवेदन, अन्य प्रकरण। 1- समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित दावा, अपील, विविध अपील, मुआवजा एवं अन्य प्रकरण।
----	---	--	--

6.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी तथा सदस्य चतुर्थ अति० दुर्घटना दावा अधिकरण, सिवनी	सत्र खण्ड तहसील बरघाट व केवलारी	1- म०प्र० शासन द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष आदेश के अंतर्गत विचारण हेतु सौंपे गये सत्र अथवा विशेष प्रकरण। 2- समय-समय पर सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, जमानत आवेदन, अन्य प्रकरण। 1- तहसील बरघाट व केवलारी के रू० 1,0000001/- (रू० एक करोड़ एक) से अधिक मूल्य के नियमित व्यवहार वाद एवं मध्यस्थता एवं सुलह अधि० 1990 से संबंधित आवेदन (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं की ऋण वसूली के ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार ऋण वसूली ट्रिब्यूनल को प्राप्त है।) 2- तहसील बरघाट व केवलारी से उत्पन्न मोटरयान अधि० 1988 की धारा 163(अ)/ (164 संशोधित), 166 के अंतर्गत प्रस्तुत उपहति से संबंधित समस्त मुआवजा प्रकरण। 3- समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित दावा, अपील, विविध अपील, मुआवजा एवं अन्य प्रकरण।
7	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना अनुसार बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या सहित बलात्कार अथवा हत्या बलात्कार से जुड़े हुये अपराधों के त्वरित विचारण के लिये (मुख्यालय लखनादौन एवं घंसौर हेतु) एवं सदस्य प्रथम अतिरिक्त दुर्घटना दावा अधिकरण, लखनादौन	तहसील न्यायालय लखनादौन के अंतर्गत स्थित आरक्षी केन्द्र लखनादौन, घंसौर एवं किंदरई (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं म०प्र० विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचारण अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधान, 2012 अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अथवा विशेष न्यायाधीश सिवनी, को आबंटित सत्र प्रकरण अथवा (एन.डी.पी.एस. को छोड़कर)	1- आरक्षी केन्द्र लखनादौन, धूमा व किंदरई, के अंतर्गत उद्भूत होने वाले सत्र प्रकरण, सत्र न्यायाधीश सिवनी द्वारा अंतरित किये जाने पर। 2- अन्य सभी सत्र प्रकरण/विशेष प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश सिवनी द्वारा सुनवाई हेतु अंतरित हो। 3- बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या सहित बलात्कार अथवा हत्या बलात्कार से जुड़े हुये अपराधों की धारा 482, 483, 483(2) BNSS संबंधी समस्त मामलो की जमानत आवेदन एवं अपील (मुख्यालय लखनादौन एवं घंसौर अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों की) 4- न्या०म०प्र०श्रे० (अति. व्यव. न्या. वरिष्ठ खण्ड, प्रथम/द्वितीय व्यव. न्या. कनिष्ठ खण्ड) लखनादौन द्वारा घोषित किये जाने वाले निर्णयों से संबंधित दाण्डिक अपील, दाण्डिक प्रकरणों में पारित किये जाने वाले आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण एवं विविध कार्यवाहियां।

		सिविल खण्ड तहसील लखनादौन, धनौरा	5- धारा 482, 483, 483(2) BNSS के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र लखनादौन, धूमा व किंदरई एवं उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले आबकारी विभाग/वन विभाग से उद्भूत आपराधिक मामलों के जमानत संबंधी आवेदन पत्र (भ्रष्टा.निवा. अधि. एवं म0प्र0 वि.भ्रष्ट आ. अधि. अनु. जाति/जनजाति अत्या.निवा.अधि. एवं पॉक्सो एक्ट, 2012 के अंतर्गत विशेष सत्र प्रकरणों से संबंधित जमानत को छोड़कर)। 6- समय-समय पर सत्र न्यायधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, जमानत आवेदन, अन्य प्रकरण। 1- रू0 1,0000001/- (एक करोड़ एक) रू0 से अधिक मूल्य के नियमित व्यवहार वाद एवं मध्यस्थता एवं सुलह अधि0 1990 से संबंधित आवेदन (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं की ऋण वसूली के ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार ऋण वसूली ट्रिबूनल को प्राप्त है।) 2- प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी मूल्य के प्रकरण। 3- भारतीय उत्तराधिकार अधि0 1925 की धारा 192 (भाग-7) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र 4- मुस्लिम विवाह विच्छेद अधि0 1939 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 5- हिन्दू व्यस्कता एवं संरक्षकता अधे0 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं याचिकाएँ। 6- हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 7- विशेष विवाह अधि0 1954, विदेशी विवाह अधि0 1969 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 8- म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपील एवं धारा 26 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 9- भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 72, 73, 74 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिका एवं आवेदन। 10- तहसील मुख्यालय लखनादौन/घंसौर/छपारा अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
--	--	---	---

		11-	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड लखनादौन, प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लखनादौन द्वारा सिविल वाद में घोषित निर्णय एवं पारित आदेशों की नियमित एवं विविध अपील।
		12-	प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के प्रकरणों में व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खण्ड लखनादौन द्वारा पारेत आदेश अथवा निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अपील।
		13-	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोवेट एवं प्रशासनिक पत्र संबंधी प्रकरण।
		14-	म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली चुनाव याचिका।
		15-	म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 139(5), 172(3)।
		16-	मोटरयान अधि0 1988 की धारा 163(अ) (164 संशोधित) 166 के अंतर्गत तहसील लखनादौन धनौरा, से संबंधित प्रस्तुत समस्त मूल्यांकन के मुआवजा प्रकरण।
		17-	म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधि0 1961 की धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपील।
		18-	लोक परिसर बेदखली अधि0 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकाएँ।
		19-	भारतीय विवाह विच्छेद 1969 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
		20-	प्रांतीय लघुवाद अधि0 1887 के अंतर्गत 500/-रु0 से अधिक किन्तु 1000/-रु0 तक के मूल्यांकन तक के लघुवाद प्रकरण।
		21-	तहसील मुख्यालय लखनादौन के क्षेत्राधिकार से संबंधित आब्रिटेशन कन्सलिटेशन की धारा-9 एवं 34 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरण।
		22-	द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश लखनादौन का पद रिक्त होने पर उत्पन्न निष्पादन प्रकरण एवं विविध आवेदन एवं अपीलीय न्यायालय से लौटने वाले प्रकरणों में दिये गये अपीलीय निर्देश की कार्यवाही हेतु प्रकरणों का लिया जाकर निराकरण किया जाना।

			23- म0प्र0 शासन द्वारा अथवा मननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष आदेश के अंतर्गत विचारण हेतु सौंपे गये स्त्र, विशेष प्रकरण एवं सिविल प्रकरण। 24- समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित दावा, अपील, विवेध अपील, मुआवजा एवं अन्य प्रकरण।
8	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लखनादौन, प्राधिकृत एवं पीठासीन अधिकारी, विद्युत अधिनियम, 2003 एवं सदस्य द्वितीय अति0 दुर्घटना दावा अधिकरण, लखनादौन	तहसील न्यायालय लखनादौन एवं घंसौर के अंतर्गत स्थित समस्त आरक्षी केन्द्र (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं म0प्र0 विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचारण अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधान, 2012 के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अथवा विशेष न्यायाधीश सिवनी, को आंबंटित सत्र प्रकरण अथवा (एन0डी0पी0एस0) विशेष प्रकरणों को छोड़कर) तथा	1- आरक्षी केन्द्र आदेगॉव, धनौरा, छपारा, घंसौर के अंतर्गत उद्भूत होने वाले सत्र प्रकरण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित किये जाने पर। 2- अन्य सभी सत्र प्रकरण/विशेष प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा सुनवाई हेतु अंतरित हो। 3- न्या0म0प्र0श्रे0 (द्वितीय व्यवहार न्या. वरिष्ठ खण्ड लखनादौन एवं अतिरिक्त व्यव न्या. वरिष्ठ खण्ड घंसौर तथा शृंखला न्यायालय छपारा) द्वारा घोषित किये जाने वाले निर्णयों से संबंधित दाण्डिक अपील एवं दाण्डिक प्रकरणों में पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण एवं विविध कार्यवाहियां। 4- तहसील न्यायालय लखनादौन के अंतर्गत सभी आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत विशेष प्रकरण एवं समस्त आरक्षी केन्द्रों की रिमाण्ड कार्यवाहियों तथा धारा 482, 483, 483(2) BNSS के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र। 5- आरक्षी केन्द्र आदेगॉव, धनौरा, छपारा, घंसौर एवं उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले आबकारी विभाग/वन विभाग से उद्भूत आपराधिक मामलों के धारा 482, 483, 483(2) BNSS के अंतर्गत जमानत संबंधी आवेदन पत्र (भ्रष्टा.निवा. अधि.एवं म0प्र0 वि.भ्रष्ट आ.अधि.अनु.जाति/जनजाति अत्या.निवा. अधि., अंतर्गत विशेष सत्र प्रकरणों से संबंधित जमानत को छोड़कर)। 6- तहसील न्यायालय लखनादौन के अंतर्गत सभी आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले म0प्र0 विद्युत अधिनियम, 2003 से संबंधित उद्भूत विशेष प्रकरण एवं धारा-482, 483, 483(2) BNSS के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन। 7- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधान, 2005 के अंतर्गत पारित आदेश से उत्पन्न अपील।

		सिविल खण्ड तहसील घंसौर एवं छपारा	8— मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण (अधिनियम 2021)। 9— न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय, लखनादौन के द्वारा विचारित अपराधों के अंतर्गत घोषित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत दाण्डिक अपील। 10— समय-समय पर सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, जमानत आवेदन, अन्य प्रकरण। 1— ₹0 1,0000001/—(एक करोड़ एक) ₹0 से अधिक मूल्य के नियमित व्यवहार वाद एवं मध्यस्थता एवं सुलह अधि० 1930 से संबंधित आवेदन (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं की ऋण वसूली के ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार ऋण वसूली ट्रिबूनल को प्राप्त है।) 2— मोटरयान अधि० 1988 की धारा 163(अ)/ (164 संशोधित) 166 के अंतर्गत तहसील घंसौर एवं छपारा, से संबंधित प्रस्तुत समस्त मूल्यांकन के मुआवजा प्रकरण। 3— द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड लखनादौन एवं अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड घंसौर तथा श्रृंखला न्यायालय छपारा द्वारा सिविल वाद में घोषित निर्णय एवं पारित आदेशों की नियमित एवं विविध अपील। 4— प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के प्रकरणों में अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड घंसौर एवं श्रृंखला न्यायालय छपारा द्वारा पारित आदेश अथवा निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अपील। 5— ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय लखनादौन द्वारा सिविल प्रकरणों में घोषित निर्णयों से उत्पन्न अपीले। 6— समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित दावा, अपील, विविध अपील, मुआवजा एवं अन्य प्रकरण। 7— प्रथम अपर जिला न्यायाधीश लखनादौन का पद रिक्त होने पर उत्पन्न निष्पादन प्रकरण एवं विविध आवेदन एवं अपीलीय न्यायालय से लौटने वाले प्रकरणों में दिये
--	--	---	--

				गये अपीलीय निर्देश की कार्यवाही हेतु प्रकरणों का लिया जाकर निराकरण किया जाना।
9	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सिवनी	तहसील सिवनी एवं कुरई	1-	5,00,001/- (पाँच लाख एक) रु० से अधिक किन्तु 10000000/- (एक करोड़) रु० तक के व्यवहार वाद।
			2-	5,00,001/- रु० (पाँच लाख एक रु०) से अधिक किन्तु 10000000/- रु० (एक करोड़ रु०) के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अधीन पेश होने वाले मामले (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई करने को अधिकारिता ऋण वसूली ट्रिब्यूनल अथवा ग्राम न्यायालय, सिवनी को प्राप्त हैं)
			3-	प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधि० के अंतर्गत 200/- रु० से अधिक किन्तु 500/- रु० से अनधिक मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण
			4-	प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी मूल्य के प्रकरण।
			5-	भारतीय उत्तराधिकार अधि० 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
			6-	जिले के बाहर से अंतरण पर प्राप्त होने वाले 5,00,001/- रु० (पाँच लाख एक रु०) से अधिक किन्तु 10000000/- रु० (एक करोड़ रु०) से अनधिक मूल्यांकन के ऐसे निष्पादन प्रकरण जो व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खण्ड द्वारा निर्णित हो।
			7-	राज्य अथवा केन्द्र के अन्य अधिनियमों के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के सुनवाई हेतु प्राधिकृत अधिकारिता के आवेदन एवं अपील।
			8-	म०प्र० नगरपालिका विधि संहिता की धारा-172 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपील।
			9-	प्रधान जिला न्यायाधीश सिवनी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण याचिकाएँ, आवेदन।

10	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सिवनी एवं प्रधान न्यायाधीश किशोर न्यायालय सिवनी		1-	प्रधान जिला न्यायाधीश सिवनी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण याचिकाएँ, आवेदन।
11	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सिवनी			रिक्त न्यायालय
12	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सिवनी			रिक्त न्यायालय
13	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सिवनी			रिक्त न्यायालय
14	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड की न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश सिवनी	राजस्व तहसील केवलारी एवं बरघाट	1-	5,00,001/- (पाँच लाख एक) रु० से अधिक किन्तु 10000000/- (एक करोड़) रु० तक के व्यवहार वाद।
			2-	5,00,001/- रु० (पाँच लाख एक रु० से अधिक किन्तु 10000000/- रु० (एक करोड़ रु०) के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अधीन पेश होने वाले मामले (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई करने की अधिकारिता ऋण वसूली ट्रिब्यूनल अथवा ग्राम न्यायालय, सिवनी को प्राप्त हैं)
			3-	प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधि० के अंतर्गत 200/- रु० से अधिक किन्तु 500/- रु० से अनधिक मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण।
			4-	प्रधान जिला न्यायाधीश सिवनी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण याचिकाएँ, आवेदन।
15	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लखनादौन			रिक्त न्यायालय
16	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लखनादौन	राजस्व तहसील छपारा एवं धनौरा	1-	5,00,001/- (पाँच लाख एक) रु० से अधिक किन्तु 10000000/- (एक करोड़) रु० तक के व्यवहार वाद। ऐसे मामले अस्थायी निषेधज्ञा आवेदन साथ-2 प्रस्तुत हुये हैं।
			2-	5,00,001/- (पाँच लाख एक) रु० से अधिक किन्तु 10000000/- (एक करोड़) रु० तक के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अधीन पेश होने वाले मामले (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई करने की अधिकारिता ऋण वसूली ट्रिब्यूनल अथवा परिवार न्यायालय, सिवनी को प्राप्त हैं)
			3-	प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधि० के अंतर्गत 200/- रु० से अधिक किन्तु 500/- रु० से अनधिक मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण।
			4-	नगर पालिका अधि० 139, 172 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें।

			5- तहसील न्यायालय अंतर्गत समस्त तहसीलों के भारतीय उत्तराधिकार अधि० 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 6- जिले के बाहर के न्यायालयों से तह० लखनादौन, छपारा, धनौरा के अंतर्गत निवासरत् मद्यून अथवा स्थिति संपत्ति संबंधित 1,00,000,00/- (एक करोड़) रु० तक के मूल्य के प्रवर्तन प्रकरण, जो प्रकरण व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड अथवा कनिष्ठ खण्ड द्वारा निर्णित हुये हो। 7- तहसील मुख्यालय लखनादौन में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ अथवा कनिष्ठ खण्ड के समस्त रिक्त न्यायालयों द्वारा निष्काृत प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले निष्पादन प्रकरण, विविध कार्यवाहियाँ एवं आवेदन पत्र।
17	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड लखनादौन की न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लखनादौन एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय लखनादौन	राजस्व तहसील लखनादौन एवं ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रदत्त क्षेत्राधिकार	1- 5,00,001/- (पाँच लाख एक) रु० से अधिक किन्तु 10000000/- (एक करोड़) रु० तक के व्यवहार वाद ऐसे मामले अस्थायी निषेधज्ञा आवेदन साथ-2 प्रस्तुत हुये हो। 2- 5,00,001/- (पाँच लाख एक) रु० से अधिक किन्तु 10000000/- (एक करोड़) रु० तक के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अधीन पेश होने वाले (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई करने की अधिकारिता ऋण वसूली ट्रिब्यूनल अथवा परिवार न्यायालय, सिवनी को प्राप्त हैं) 3- प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधि० के अंतर्गत 200/- रु० से अधिक किन्तु 500/- रु० से अनधिक मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण। 4- नगर पालिका अधि० 139, 172 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें। 5- प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
18	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सिवनी		रिक्त न्यायालय
19	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सिवनी		प्रधान जिला न्यायाधीश सिवनी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण याचिकाएँ, आवेदन।
20	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सिवनी	राजस्व तहसील सिवनी	1- 1/- रु० से लेकर 5,00,000/- (पाँच लाख) रु० तक के मूल्य के व्यवहार वाद वर्ग-अ एवं वर्ग-ब एवं इसी मूल्य के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित निष्पादन प्रकरण।

			2- जिले के बाहर से अंतरित होकर 1/-रु0 से लेकर 5,00,000/- (पाँच लाख) रु0 तक के मूल्य के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा निर्णित प्रकरणों से संबंधित निष्पादन प्रकरण। 3- प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय-समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जाने वाले प्रकरण याचिकाएँ एवं आवेदन।
21	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सिवनी	राजस्व तहसील बरघाट	1- 1/- रु0 से लेकर 5,00,000/- (पाँच लाख) रु0 तक के मूल्य के व्यवहार वाद वर्ग-अ एवं वर्ग-ब एवं इसी मूल्य के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित निष्पादन प्रकरण। 2- जिले के बाहर से अंतरित होकर 1/-रु0 से लेकर 5,00,000/- (पाँच लाख) रु0 तक के मूल्य के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा निर्णित प्रकरणों से संबंधित निष्पादन प्रकरण। 3- प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय-समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जाने वाले प्रकरण, याचिकाएँ एवं आवेदन।
22	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी	राजस्व तहसील कुरई	1- 1/- रु0 से लेकर 5,00,000/- (पाँच लाख) रु0 तक के मूल्य के व्यवहार वाद वर्ग-अ एवं वर्ग-ब एवं इसी मूल्य के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित निष्पादन प्रकरण। 2- जिले के बाहर से अंतरित होकर 1/-रु0 से लेकर 5,00,000/- (पाँच लाख) रु0 तक के मूल्य के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा निर्णित प्रकरणों से संबंधित निष्पादन प्रकरण। 3- प्रांतीय लघुवाद अधि0 1887 के अंतर्गत 01/-रु0 से अधिक किन्तु 200/-रु0 तक के मूल्यांकन तक के लघुवाद प्रकरण। प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय-समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जाने वाले प्रकरण, याचिकाएँ एवं आवेदन।
23	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी		प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय-समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जाने वाले प्रकरण, याचिकाएँ एवं आवेदन।
24	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लखनादौन	राजस्व तहसील लखनादौन	1- 1/- रु0 से लेकर 5,00,000/- (पाँच लाख) रु0 तक के मूल्य के व्यवहार वाद वर्ग-अ एवं वर्ग-ब एवं इसी मूल्य के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित निष्पादन प्रकरण।

			2-	तहसील मुख्यालय लखनादौन में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के समस्त रिक्त न्यायालयों द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले निष्पादन प्रकरण, विविध कार्यवाहियाँ एवं आवेदन पत्र।
			3-	प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय-समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जाने वाले प्रकरण, याचिकाएँ एवं आवेदन।
25	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड लखनादौन	राजस्व तहसील धनौरा	1-	1/-रु0 से लेकर 5,00,000/- (पाँच लाख) रु0 तक के मूल्य के व्यवहार वाद वर्ग-अ एवं वर्ग-ब एवं इसी मूल्य के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं संबंधित निष्पादन प्रकरण।
			2-	प्रांतीय लघुवाद अधि0 1887 के अंतर्गत 01/-रु0 से अधिक किन्तु 200/-रु0 तक के मूल्यांकन तक के लघुवाद प्रकरण।
			3-	प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
26	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी की न्यायालय के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, घंसौर	राजस्व तहसील घंसौर (ग्राम न्यायालय को आवंटित क्षेत्रीय एवं आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा के मामलों को छोड़कर)	1-	01/- (एक रुपए) रु0 से अधिक किन्तु 10000000/- (एक करोड़) रु0 तक के व्यवहार वाद। ऐसे मामले अस्थायी निषेधज्ञा आवेदन साथ-2 प्रस्तुत हुये हो।
			2-	01/- (एक रुपए) रु0 से अधिक किन्तु 10000000/- (एक करोड़) रु0 तक के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अधीन पेश होने वाले (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई करने की अधिकारिता ऋण वसूली ट्रिब्यूनल अथवा परिवार न्यायालय, सिवनी को प्राप्त हैं)
			3-	जिले के बाहर के न्यायालयों से तहसील घंसौर, के अंतर्गत निवासरत् मद्यून डिक्रीदार अथवा घंसौर की क्षेत्रीय अधिकारिता में स्थित संपत्ति संबंधित 1,00,000,00/- (एक करोड़) रु0 तक के मूल्य के प्रवर्तन प्रकरण, जो प्रकरण व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड अथवा कनिष्ठ खण्ड द्वारा निर्णित हुये हो
			4-	प्रांतीय लघुवाद अधि0 1887 के अंतर्गत 200/-रु0 से अधिक किन्तु 500/-रु0 तक के मूल्यांकन तक के लघुवाद प्रकरण।
			5-	प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

27	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, केवलारी	राजस्व तहसील केवलारी	1- 1/-रु0 से लेकर 5,00,000/- (पाँच लाख) रु0 तक के मूल्य के व्यवहार वाद अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित निष्पादन प्रकरण। टीप :- (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई करने की क्षेत्राधिकारिता ग्राम न्यायालय सिवनी अथवा ऋण वसूली ट्रिब्यूनल को प्राप्त हैं)
			2- प्रांतीय लघुवाद अधि० 1887 के अंतर्गत 01/-रु0 से अधिक किन्तु 200/-रु0 तक के मूल्यांकन तक के लघुवाद प्रकरण।
			3- प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय-समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
28	श्रृंखला न्यायालय छपारा	राजस्व तहसील छपारा	1- 1/-रु0 से लेकर 5,00,000/- (पाँच लाख) रु0 तक के मूल्य के व्यवहार वाद वर्ग-अ एवं वर्ग-ब एवं इसी मूल्य के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित निष्पादन प्रकरण। टीप :- (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई करने की क्षेत्राधिकारिता ग्राम न्यायालय लखनादौन अथवा ऋण वसूली ट्रिब्यूनल को प्राप्त हैं)
			2- प्रांतीय लघुवाद अधि० 1887 के अंतर्गत 01/-रु0 से अधिक किन्तु 200/-रु0 तक के मूल्यांकन तक के लघुवाद प्रकरण।
			3- प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

— यह कार्य विभाजन आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा।

टीप :-

- कार्य विभाजन आदेश के प्रभावी होने की दिनांक के पूर्व से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों पर इस कार्य विभाजन आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा। लंबित प्रकरण यथावत् उन्हीं न्यायालयों में लंबित रहकर विधि अनुकूल सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे किन्तु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी वर्तमान क्षेत्राधिकारिता के प्रकाश में लंबित प्रकरणों का आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में स्थानांतरण कर सकेंगे।
- सत्र खण्ड सिवनी के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले “मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम” के अंतर्गत, “अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989”, विद्युत अधिनियम, 2003 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 से संबंधित प्रकरण तथा रिमाण्ड कार्यवाही सीधे संबंधित विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे तथा उनसे संबंधित जमानत/सुपुर्दनामा कार्यवाही आदि संबंधी समस्त आवेदन पत्र भी संबंधित विशेष न्यायालय के समक्ष सीधे प्रस्तुत किये जावेंगे।
- “मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम” के अंतर्गत एवं “अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989”, के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने अथवा पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्रों एवं आवश्यक कार्यों का निराकरण जिला मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा।

- 4- सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा प्रथम बार अंतरित किये जाने पर जिस अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-482, 483 BNSS का निराकरण किया गया है, उस आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर उन्ही अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हेतु सत्र न्यायाधीश सिवनी के अवकाश/अनुपस्थित होने पर अंतरित हो जायेगा।
- 5- धारा-482, 483 BNSS के अंतर्गत दिये गये जमानत आदेश को निरस्त किये जाने हेतु धारा 483(2) BNSS का आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर उन्ही न्यायाधीश द्वारा सुने जायेंगे जिनके द्वारा जमानत आदेश पारित किया गया है तदनुसार प्रस्तुत आवेदन संबंधित न्यायाधीश के समक्ष सीधे प्रस्तुत होंगे, अन्यथा सुनवाई हेतु अंतरित किये जायेंगे।
- 6- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश अवधि में ग्रीष्माकालीन एवं शीतकालीन अवकाश के संबंध में किये जाने वाले विशेष आदेश के अधीन रहते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482, 483, 483(2) BNSS से संबंधित मुख्यालय में प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक दिवस के पंजीयन प्राथमिकता से एक-एक जमानत आवेदन पत्र क्रमशः विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) एक्ट सिवनी एवं प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी की न्यायालय में अंतरित माने जाएंगे, साथ ही यदि किसी दिवस में 05 से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत होते हैं तो पुनः इसी क्रमानुसार अंतरित माने जाएंगे। संबंधित क्रम के न्यायाधीश के अवकाश पर होने पर उनके प्रभार के न्यायाधीश के यहाँ उक्त अंतरित तिथि के जमानत आवेदन स्वयं ही अंतरित मान्य किये जायेंगे।
- 7- सत्र न्यायाधीश सिवनी के अवकाश पर रहने की अवस्था में किसी भी थाने के अपराध क्रमांक से संबंधित किसी एक अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र जिन अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा निराकृत किया गया है उसी अपराध क्रमांक के अन्य अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र सीधे उक्त अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को सुनवाई हेतु अंतरित हो जायेंगे।
- 8- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन के अवकाश पर होने की दशा में प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, लखनादौन के समक्ष प्रस्तुत होंगे एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन के अवकाश पर होने की दशा में प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 9- यदि किसी न्यायालयीन कार्य दिवस/दिवसों में उपरोक्त न्यायालय में से यदि किसी एक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी कर्तव्य पर उपस्थित हैं एवं अन्य अनुपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में उनके पास समस्त न्यायालयों का प्रभार रहेगा एवं उनके द्वारा विधि अनुसार आदेश पारित किये जा सकेंगे एवं कार्यवाही की जा सकेगी।
- 10- सत्र खण्ड में पदस्थ सत्र न्यायाधीशगण सिवनी एवं अपर सत्र न्यायाधीशगण के एक साथ अवकाश पर होने अथवा पद रिक्त होने की अपवादिक दशा में सत्र प्रकरणों में प्रस्तुत होने वाले त्वरित निराकरण योग्य आवेदन अथवा जमानत आवेदनों का निराकरण करने का अधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी को रहेगा।
- 11- इस कार्य विभाजन पत्रक में जिन प्रकरणों, आवेदनों, याचिकाओं या अन्य विषय में दिशा-निर्देश स्पष्ट न हो ऐसे कोई प्रकरण आवेदन सीधे सत्र न्यायालय, सिवनी में उचित आदेश हेतु प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
- 12- प्रथम/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन के न्यायालय में सुने जाने योग्य सत्र प्रकरण (कार्य विभाजन में दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार) उपार्पण कार्यवाही के पश्चात् सम्पूर्ण अभिलेख न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश/द्वितीय सत्र न्यायाधीश, लखनादौन को सीधे प्रेषित दिये जायेंगे तथा आरोपीगण को प्रथम/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थित होने की तिथि सूचित की जावेगी।
- 13- प्रथम/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, लखनादौन द्वारा सत्र प्रकरण को प्राप्त कर आरोपीगण की उपस्थिति सुनिश्चित कर प्रथम आदेश पत्रिका दो प्रतियों में तैयार की जाकर मूल प्रति सत्र प्रकरण के पंजीयन/स्थानांतरण आदेश हेतु सत्र न्यायालय सिवनी को अभियोग पत्र के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति की साथ प्रेषित की जायेगी, सम्पूर्ण अभिलेख एवं आरोपीगण को सत्र न्यायालय में प्रेषित करने अथवा उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- 14- तहसील न्यायालय लखनादौन अंतर्गत प्रथम/द्वितीय अपर सत्र न्यायालयों को आवंटित आरक्षी केन्द्रों की सीमा के भीतर उद्भूत होने वाले समस्त प्रकार के प्रकरणों की अपील (यथा वन अपराध, आबकारी एक्ट एवं अन्य अधिनियम के प्रकरणों की अपील) की सुनवाई एवं निराकरण संबंधित अपर सत्र न्यायालय द्वारा की जावेगी।

- 15— सत्र न्यायालय सिवनी अंतर्गत किसी भी रिक्त सत्र न्यायालय की अपील/जमानत/रिमाण्ड आदि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी की न्यायालय में सीधे प्रस्तुत की जाएगी।
- 16— व्यवसायिक परीक्षा मंडल से संबंधित अपराध के सभी आवेदन एवं प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से अधिसूचित न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
- 17— राजस्व से संबंधित पुनरीक्षण जिस थाना क्षेत्र से संबंधित है उसकी सुनवाई उसी न्यायालय में होगी जिस न्यायालय में उस थाने से संबंधित सत्र प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है।
- 18— जिन न्यायालयों/अधिकरण द्वारा मूल प्रकरण, विविध प्रकरण, विविध कार्यवाही, आवेदन पत्र व्लेम पिटीशन निर्णित किये जायेंगे, उनके निष्पादन प्रकरण व विविध प्रकरण भी उसी न्यायालय में प्रस्तुत होंगे। यदि न्यायालय अस्तित्व में न हो या रिक्त हो तब, एवं इस कार्य विभाजन आदेश में इस विषय में कोई व्यवस्था प्रकट न हो रही हो, तब ऐसे न्यायालय से संबंधित निष्पादन, विविध आवेदन निम्नानुसार न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे एवं उनके द्वारा विधि अनुसार निराकृत किये जावेंगे—

क्रं.	मुख्यालय का नाम	रिक्त न्यायालय का विवरण	निराकरण करने वाले न्यायालय का नाम
1	जिला मुख्यालय सिवनी	जिला न्यायाधीश	चतुर्थ जिला न्यायाधीश सिवनी
2		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के अति. न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी
3		तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी
4		व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी
5	तहसील मुख्यालय लखनादौन	जिला न्यायाधीश	द्वितीय जिला न्यायाधीश लखनादौन जिला सिवनी
6		व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लखनादौन जिला सिवनी
7		व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लखनादौन जिला सिवनी

- 19— जब कभी पुनर्स्थापना अथवा एक पक्षीय निर्णय को अपास्त करने का आवेदन (विविध प्रकरण) मूल आदेश पारित करने वाले न्यायालय से भिन्न न्यायालय द्वारा निराकृत किया जाये तब मूल प्रकरण उसी न्यायालय को, जिन्होंने पुनर्स्थापना अथवा एकपक्षीय निर्णय से संबंधित विविध प्रकरण का निराकरण किया है, मूल प्रकरण को नये नम्बर पर पुनः स्थापित कर आगे की सुनवाई हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
- 20— पूर्व में पारित उत्तराधिकार प्रमाणपत्र में परिवर्तन, परिवर्धन के लिए आवेदन पत्र उसी न्यायालय में प्रस्तुत होंगे जिसके द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, यदि वह न्यायालय अस्तित्व में नहीं है या रिक्त है, तब ऐसे आवेदन उचित आदेश हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होंगे।
- 21— म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1955 की उपधारा-21(4) के प्रावधानों के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश में समस्त न्यायालय इस कार्य विभाजन आदेश के अंतर्गत आवंटित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले अत्यावश्यक सिविल कार्य का निराकरण कर सकेंगे।
- 22— धारा-114 सी0पी0सी0 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन सीधे उस न्यायालय में ही प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है। यदि न्यायालय रिक्त है तब आवेदन उचित आदेश हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होंगे।

- 23- कार्य विभाजन पत्रक में जिन प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, ऐसे वाद, आवेदन, याचिका, विविध आवेदन आदि सीधे प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होंगे, जिनके विषय में प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा उचित आदेश दिया जायेगा।
- 24- माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के परिपत्र क्र0 सी0/6698/तीन-19-12/89 (मुख्य) जबलपुर, दिनांक 19/12/2014 के प्रकाश में परिवार न्यायालय सिवनी के पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में परिवार न्यायालय के लंबित प्रकरणों एवं उनमें से उत्पन्न होने वाले अत्यावश्यक कार्य विशेष न्यायाधीश (अनु.जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) सिवनी के द्वारा संपादित किये जावेंगे।
- 25- तहसील लखनादौन अंतर्गत प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड का पद रिक्त होने की स्थिति में भारतीय उत्तराधिकार अधि0 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा संपादित किये जावेंगे।
- 26- जिला मुख्यालय सिवनी एवं तहसील केवलारी के अंतर्गत रिक्त अथवा अस्तित्व में नहीं रहे, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खण्ड के न्यायालयों से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध अपील एवं निष्पादन कार्यवाहियों, द्वितीय जिला न्यायाधीश सिवनी द्वारा संपादित किये जावेंगे।
- 27- तहसील लखनादौन/घंसौर/श्रृंखला न्यायालय छपारा के अंतर्गत रिक्त अथवा अस्तित्व में नहीं रहे, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खण्ड के न्यायालयों से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध अपील एवं निष्पादन कार्यवाहियों प्रथम जिला न्यायाधीश लखनादौन जिला सिवनी द्वारा संपादित किये जावेंगे।
- 28- न्यायिक अधिकारियों के अवकाश अवधि अथवा अन्यथा कारण से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की दशा में निम्न तालिका के कालम क्रमांक-2 में वर्णित न्यायालयों का अत्यावश्यक कार्य क्रमशः कालम-3, 4 एवं 5 में उल्लेखित न्यायालय द्वारा संपादित किया जावेगा :-

// न्यायालय जिनके पास प्रभार रहेगा //

क्रं.	अनुपस्थित न्यायिक अधिकारी का नाम व पद	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	2	3	4	5
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी	विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (पी.ए) एक्ट सिवनी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी
2	विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (पी.ए) एक्ट सिवनी	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी	तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी
3	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी	तृतीय एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी	चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी
4	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी	तृतीय एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी
5	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी
6	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी
7	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लखनादौन	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लखनादौन	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी
8	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, लखनादौन	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लखनादौन	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी
9	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिवनी	अति. व्यव. न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी	चतुर्थ व्यवहार न्याया. कनिष्ठ खण्ड सिवनी
10	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश	अति. व्यवहार न्यायाधीश	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश	पंचम व्यव. न्यायाधीश

22.4.2026
(सतीश चंद्र राय)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिवनी (M0प्र0)

:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी (म0प्र0) ::

पृष्ठां० क्रमांक- **1186** / एक / 11-1 / 06-2026

सिवनी, दिनांक **22** / 04 / 2026

प्रतिलिपि :-

- (01) माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति (जिला सिवनी), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
- (02) माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
- (03) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
- (04) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्याया० / विशेष न्यायाधीश, एस.सी. / एस.टी. (पी.ए.) एक्ट सिवनी
- (05) प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी / लखनादौन।
- (06) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी।
- (07) जिलाध्यक्ष एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी।
- (08) पुलिस अधीक्षक, सिवनी।
- (09) न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सिवनी / जिला रजिस्ट्रार सिवनी।
- (10) समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खण्ड सिवनी / लखनादौन / घंसौर / केवलारी / श्रृंखला न्यायालय छपारा।
- (11) न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय लखनादौन।
- (12) प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग सिवनी / लखनादौन / घंसौर / केवलारी / छपारा।
- (13) प्रस्तुतकार सत्र न्यायाधीश, सिवनी।
- (14) अध्यक्ष अभिभाषक संघ, सिवनी / लखनादौन / घंसौर / केवलारी / छपारा।
- (15) शासकीय अभिभाषक सिवनी।
- (16) प्रशासनिक अधिकारी / उप प्रशासनिक अधिकारी / लेखापाल-कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी की ओर सूचनार्थ।



(सतीश चंद्र राय)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

सिवनी (म0प्र0)